

सिटीजन चार्टर

CITIZEN'S CHARTER

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड



कार्यालय-निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड

सहकारिता परिसर, नियर रेलवे क्रासिंग, तुनवाला रोड, मियांवाला, देहरादून— 248005

विषय सूची

| क्र० सं | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--------------|
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| 2 | विभागीय उद्देश्य एवं लक्ष्य | 1 |
| 3 | विभागीय कार्यकलाप | 2 |
| 4 | राज्य में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय ढांचा | 2 |
| 5 | सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढांचा | 3 |
| 6 | विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं दायित्व | 3-4 |
| 7 | विभाग का संस्थागत ढांचा | 5-6 |
| 8 | विभागीय संस्थायें एवं उनके कार्य | 6 |
| 9 | सहकारी समितियों एवं सहकारिताओं का निबन्धन | 7 |
| 10 | सहकारी समितियों में निर्वाचन | 7-8 |
| 11 | सहकारी समितियों में विवाद एवं उनका निपटारा | 8 |
| 12 | उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 | 9 |
| 13 | उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 | 10 |
| 14 | मुख्यालय एवं विभागीय अधिकारियों के नाम व ई0मेल | 11 |
| 15 | मण्डलीय कार्यालय एवं विभागीय अधिकारियों के नाम व ई0मेल | 11 |
| 16 | सूचना का अधिकार | 12-13 |
| | | |

-प्रस्तावना:-

उत्तराखण्ड के किसानों की खुशहाली और देश के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने तथा सामाजिक जीवन में जनतान्त्रिक मूल्यों मान्यताओं एवं परम्पराओं को विकसित करने का सहकारिता ही सशक्त एवं सर्वोत्तम माध्यम है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किये जाने के उद्देश्य से एवं सतत विकास लक्ष्य संकेतक को प्राप्त करने हेतु राज्य में कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विपणन आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही है। कृषकों को विभिन्न सुविधायें प्रदान करने हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों की 324 शाखायें व निबन्धित 667 बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (एमपैक्स) संचालित हो रही हैं। प्रदेश में सहकारिता विभाग के संगठनों का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को ब्याजरहित व सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, अपितु ग्रामीण एवं शहरी निर्बल और निर्धन वर्ग को सशक्त बनाते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है। सहकारी समितियाँ ब्याज रहित व सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को अंश क्रय हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण एवं विपणन में सहायता, क्रय-विक्रय की व्यवस्था, कृषि कार्य हेतु रासायनिक, जैविक उर्वरक एवं उन्नतशील बीजों का वितरण उचित दर पर एवं उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उपलब्ध किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

विभागीय उद्देश्य एवं लक्ष्य

- सहकारिता आन्दोलन को जन-जन तक पहुँचाना।
- कृषकों को ब्याज रहित कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति।
- कृषकों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलवाना।
- सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अकृषक ऋण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषकों को साहूकारों से मुक्त कराना।
- सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन।
- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से शासन की जनहितकारी नीतियों को कार्यान्वित कराया जाना।
- दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना।
- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद तथा विपणन।
- प्रारम्भिक समितियों में ग्रामीण बचत केन्द्रों/बैंक शाखाओं की स्थापना कर बैंक जनता के द्वार।
- समस्त जनपदों में जिला सहकारी बैंकों की स्थापना।
- सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाना।
- पैक्स को बहुउद्देशीय समिति के रूप में चरणबद्ध तरीके से विकसित करना कर समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम करना।

विभागीय कार्यकलाप

सहकारिता विभाग सहकारी समितियों के लिए एक मित्र, विचारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देशन तथा पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को व्याजरहित व सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समिति सदस्यता हेतु अंश क्रय किये जाने हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण एवं विपणन किये जाने में सहायता करती है, और क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करती है। समितियाँ किसानों को कृषि कार्य हेतु रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, कीटनाशक एवं उन्नतशील बीजों का उचित दर पर वितरण करती है, तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराती है।

वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु उक्त समितियों को बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है।

राज्य में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय ढांचा

निबन्धक

अपर निबन्धक

संयुक्त निबन्धक

उप निबन्धक

जिला सहायक निबन्धक

अपर जिला सहकारी अधिकारी

सहायक विकास अधिकारी

राजकीय पर्यवेक्षक

सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढांचा

| क्रं० सं० | मुख्यालय स्तर | मण्डलीय स्तर | जिला स्तर |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | निबन्धक | उप निबन्धक | जिला सहायक निबन्धक |
| 2 | अपर निबन्धक | जिला सहायक निबन्धक | अपर जिला सहकारी अधिकारी |
| 3 | संयुक्त निबन्धक | सहायक लेखाधिकारी | सहायक विकास अधिकारी(सह०) |
| 4 | उप निबन्धक | अपर जिला सहकारी अधिकारी | अन्वेषक कम संगणक |
| 5 | वित्त नियन्त्रक | संहायक विकास अधिकारी(सह०) | लेखाकार/ सहायक लेखाकार |
| 6 | सहायक निबन्धक | मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी स्टाफ | मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी स्टाफ |
| 7 | अपर जिला सहकारी अधिकारी | लेखाकार | संग्रह अमीन |
| 8 | सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 | सहायक लेखाकार | राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक |
| 9 | अन्वेषक कम संगणक | चालक | चालक |
| 10 | लेखाकार / सहायक लेखाकार | | |
| 11 | तकनीकी, मिनिस्ट्रीयल एवं सहयोगी | | |
| 12 | चालक | | |

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं दायित्व

1. निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड

प्रशासनिक अधिकार-

- 1—विभागाध्यक्ष के रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण।
- 2—शासन से प्राप्त निर्देशों, आदेशों का पालन।
- 3—राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्तति एवं स्थानान्त्रण प्रस्तावों को शासन के समुख प्रस्तुत करना।
- 4—निरीक्षक वर्ग-1 की पदोन्तति एवं नियुक्ति का अधिकार।
- 5—सहकारी समितियों का निबन्धन।
- 6—सहकारी समितियों में नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का अधिकार।
- 7—सहकारी समितियों के ₹० 15,00,000.00 से अधिक के वादो का निपटारा।
- 8—समितियों में अभिनिर्णय एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार।
- 9—उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त अधिकार।
- 10—राजपत्रित अधिकारियों के अर्जित अवकाश की स्वीकृति का अधिकार।

वित्तीय शक्तियाँ –

1. शासन द्वारा प्राप्त बजट का जनपदों को वितरण।
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की धनराशि का समितियों को आवंटन।
3. आहरण वितरण अधिकार।
4. मण्डलीय कार्यालय में विभागीय/ वित्तीय कार्यों की स्वीकृति का अधिकार।

2. अपर निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड

प्रशासनिक अधिकार-

- 1— अधीनस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना।
- 2— निरीक्षक वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार।
- 3— निरीक्षक वर्ग-3, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदोन्तति का अधिकार।

4- सहकारी समितियों के 10,00,000.00 रु0 से 15,00,000.00 रु0 तक के वादो का निपटारा।

वित्तीय शक्तियाँ –

1. मुख्यालय एवं जिला सहायक निबन्धक कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन आहरण।
2. जी०पी०एफ० स्वीकृति।
3. अर्जित अवकाश की स्वीकृति।

3. संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड

प्रशासनिक अधिकार—

- 1- उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों के अन्तर्गत निबन्धक के सामान्य निर्देशों, अधीक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करना।
- 2- अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों व कार्मिकों की पदोन्नति का अधिकार।
- 3- सहकारी समितियों के 5,00,000.00 रु0 से 10,00,000.00 रु0 तक के वादो का निपटारा।

4. उप निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड

प्रशासनिक अधिकार—

- 1- सहकारी समितियों के नियन्त्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों के तदनुसार मार्गदर्शन करना।
- 2- अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- सहकारी समितियों के 2,00,000.00 रु0 से 5,00,000.00 रु0 तक के वादो का निपटारा।

5. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड

प्रशासनिक अधिकार—

- 1- जनपद में स्थित सहकारी समितियों के नियन्त्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तदनुसार मार्ग दर्शन करना।
- 2- अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- सहकारी समितियों के 2,00,000.00 रु0 तक के वादो का निपटारा।
- 4- कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार।
- 5- जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के सम्मुख जनपद की सूचनाओं को प्रस्तुत करना।
- 6- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की प्रशासनिक कमीटी में सचिव के रूप में भागीदारी।
- 7- समितियों के लेखों का निरीक्षण।

वित्तीय शक्तियाँ –

1. शासन से आवंटित बजट का आहरण-वितरण।
2. 25 दिन तक के अर्जित अवकाश की स्वीकृति।

6. अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-1

तहसील स्तर पर सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अनुपालन कराना, आडिट, सहकारी समितियों के पुर्णगठन, आर्बिट्रेशन, शिकायतों की जॉच, अधीनस्थ विकास खण्ड में नियुक्त विभागीय कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, सहकारी समितियों में कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

7. सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता)/सहकारी निरीक्षक वर्ग-2

विकासखण्ड में स्थित समस्त प्रकार की सहकारी समितियों का वर्ष में 4 बार निरीक्षण करना, ऋण सत्यापन, आडिट परिपालन, अभिनिर्णय, वार्षिक संकलन तैयार करना, उच्चाधिकारियों के निरीक्षणों का अनुपालन कराना, उपभोक्ता व्यवसाय कराना, कृषि निवेशों की आपूर्ति निश्चित कराना, सहकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना, समितियों की बैठक में भाग लेना, किसान सेवा केन्द्रों का संचालन अन्य कार्य जो विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर आवंटित किये जाये।

विभाग का संस्थागत ढांचा

❖ **शीर्ष सहकारी समितियाँ:-** इस प्रकार की समितियाँ राज्यस्तर पर गठित की जाती है, जिनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य का होता है। वर्तमान में राज्य में कुल 14 शीर्ष सहकारी समितियाँ निबन्धित हैं जो कि निनवत् हैं—

- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड कोआपरेटिव रेशम फैडरेशन लि0, प्रेमनगर, देहरादून।
- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी आवास एवं निर्माण संघ लि0, काशीपुर।
- उत्तराखण्ड राज्य हथकरघा/बुनकर एवं हस्तशिल्प सहकारी संघ लि0, काशीपुर।
- राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि0, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
- उत्तराखण्ड भेड़, बकरी शशक पालक कोऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड कुक्कुट एवं पशुपालन सहकारी संघ लि0।
- उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम लि0, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।
- उत्तराखण्ड राज्य ग्रामोदय सहकारी संघ लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, देहरादून।
- उत्तराखण्ड लेबर कान्ट्रेक्ट कोऑपरेटिव फैडरेशन लि0 देहरादून।

❖ **केन्द्रीय सहकारी समितियाँ:-** इस प्रकार की समितियाँ जनपदस्तर पर गठित की जाती हैं। जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारी समितियाँ होती हैं। वर्तमान में कुल 10 जिला सहकारी बैंक लि0, 06 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, 12 सहकारी संघ एवं 81 अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

| क्र0सं0 | जिला व राज्य सहकारी बैंक का नाम | शाखाओं की संख्या |
|---------|---|------------------|
| 1 | जिला सहकारी बैंक लि0 नैनीताल | 37 |
| 2 | जिला सहकारी बैंक लि0 अल्मोड़ा | 31 |
| 3 | जिला सहकारी बैंक लि0 पिथौरागढ़ | 28 |
| 4 | जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून | 25 |
| 5 | जिला सहकारी बैंक लि0 पौड़ी (कोट्टद्वार) | 35 |
| 6 | जिला सहकारी बैंक लि0 टिहरी गढ़वाल | 39 |
| 7 | जिला सहकारी बैंक लि0 चमोली (गोपेश्वर) | 32 |
| 8 | जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरकाशी | 18 |
| 9 | जिला सहकारी बैंक लि0 हरिद्वार (रुडकी) | 26 |
| 10 | जिला सहकारी बैंक लि0 उधमसिंह नगर | 38 |
| 11 | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 | 15 |
| योग | | 324 |

❖ **प्राथमिक सहकारी समितियाँ**:- प्राथमिक सहकारी समिति में व्यक्तिगत सदस्य इन समिति के सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 2820 सहकारी समितियाँ निबन्धित हैं। उक्त में से 667 बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

| क्र०सं० | जनपद का नाम | आमेलन से पूर्व में समितियों की संख्या | आमेलन पश्चात् समितियों की संख्या | वर्तमान में कार्यरत समितियों की संख्या |
|---------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | अल्मोड़ा | 80 | 80 | 80 |
| 2 | बागेश्वर | 18 | 18 | 18 |
| 3 | नैनीताल | 53 | 53 | 53 |
| 4 | ऊधमसिंह नगर | 35 | 35 | 35 |
| 5 | पिथौरागढ़ | 112 | 74 | 74 |
| 6 | चम्पावत | 23 | 23 | 23 |
| 7 | देहरादून | 39 | 39 | 39 |
| 8 | हरिद्वार | 43 | 43 | 43 |
| 9 | टिहरी | 88 | 78 | 88 |
| 10 | पौड़ी | 132 | 91 | 91 |
| 11 | उत्तरकाशी | 44 | 35 | 35 |
| 12 | चमोली | 54 | 48 | 54 |
| 13 | रुद्रप्रयाग | 37 | 34 | 34 |
| कुल योग | | 758 | 651 | 667 |

विभागीय संस्थायें एवं उनके कार्य

➤ उत्तराखण्ड सहकारी न्यायाधिकरण:-

सहकारी न्यायाधिकरण सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई कर अपीलार्थिओं को सुलभ न्याय प्रदान करता है।

➤ सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण:-

भारत के संविधान में 97वें संशोधन के अनुसार गठित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप संस्थाओं में प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जाता है।

➤ उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवामण्डल:-

संस्थागत सेवामण्डल जिला सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्तति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित कार्यों हेतु गठित किया गया है।

➤ उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद:-

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा राज्य में नयी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले/गोष्ठियाँ एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु गठित है।

➤ उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम:-

उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम के 14 भण्डारगृह हैं, जिनकी क्षमता 1.31 लाख मैट्रन है। जिसका उद्देश्य उत्पादित उपज का सुरक्षित भण्डारण करना है।

➤ उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम:-

प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुयें उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित है।

सहकारी समितियों एवं सहकारिताओं का निबन्धन

(अ) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत –

- निबन्धन हेतु कम से कम 10 व्यक्ति जो प्रस्तावित समिति के प्रारम्भिक सदस्य होंगे। समिति गठन हेतु प्रस्तावित समिति के सदस्यों द्वारा की गयी बैठकों की कार्यवृत्तियां, निबन्धन प्रार्थना–पत्र एवं उपविधियां निर्धारित शुल्क 500. 00 रु0 राजकीय कोषागार में जमा करने की चालान प्रति, आर्गनाईजर/इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट, जिला सहकारी बैंक में जमा अंशधन की रसीद, सदस्यों के फोटो एवं निवास का पहचान, प्रस्तावित समिति के कार्यालय व अभिलेखों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रतिमान उपविधियों में समिति के मुख्य प्रवर्तक का सहमति पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह0) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड/मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, को प्रेषित किये जायें।

(ब) उत्तराखण्ड स्वायत सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत :-

- सहकारिताओं के गठन/पंजीकरण हेतु कम से कम 7 व्यक्तियों अथवा 2 सहकारिताओं का होना आवश्यक है। सहकारिताओं के संगठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0), आर्गनाईजर होंगे। स्वायत सहकारिता के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रादि उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम की अनुसूची (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर संगम ज्ञापन एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद की तीन–तीन प्रतिलिपियां, प्रार्थना–पत्र के साथ निर्धारित जमा शुल्क की चालान की प्रति, सदस्यों के फोटो एवं निवास का प्रमाण–पत्र के उपरान्त सम्बन्धित तहसील के तहसील स्तर पर कार्यरत अपर जिला सहकारी अधिकारी अथवा राज्य के निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धन प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायें।

सहकारी समितियों में निर्वाचन

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के स्तर पर किये जाने वाले कार्य-

- निर्वाचन तिथि का निर्धारण।
- नियमानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण एवं उनका प्रकाशन (प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से)।
- निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करवाना (प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से)।
- निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कराना (प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से)।

सहकारी समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्य –

- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने की सूचना कार्यकाल की समाप्ति के 4 माह पूर्व निबन्धक/निर्वाचन प्राधिकरण को प्रेषित करना।
- प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु समिति की सदस्यता, राजस्व क्षेत्र आदि का विवरण निर्वाचन प्राधिकरण को भेजना।
- 4 माह पूर्व की सदस्यता सूची।
- निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली मतदाता सूची तैयार करना।
- मतदाता सूची में निर्वाचन तिथि से 45 दिन पूर्व बनाये गये सदस्य ही समिलित होंगे।

- निर्वाचन अधिकारी के साथ आवश्यक निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन आदि सम्पादित करना।

निर्वाचन के स्तर

प्रारम्भिक समितियों में

- सदस्यों द्वारा संचालकों का निर्वाचन।
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन।
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन।
- संचालक मंडल में 2 पद महिलाओं व एक पद अनुजाति/जनजाति के लिये आरक्षित।

केन्द्रीय समितियों में

- प्रारम्भिक सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन।
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन।
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन।
- संचालक मंडल में 2 पद महिलाओं व एक पद अनुजाति/जनजाति के लिये आरक्षित।

शीर्ष समितियों में

- सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन।
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन।
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन।
- संचालक मंडल में 2 पद महिलाओं व एक पद अनुजाति/जनजाति के लिये आरक्षित।

सहकारी समितियों के विवाद एवं उनका निपटारा

- सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध एवं कारोबार अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्डल नियुक्ति की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत—
- 2,00,000.00 रु० तक के वाद जिला सहायक निबन्धक के अधिकारिता में,
- 2,00,000.00 रु० से 5,00,000.00 रु० तक के वाद उप निबन्धक के अधिकारिता में,
- 5,00,000.00 रु० से 10,00,000.00 रु० तक के वाद संयुक्त निबन्धक के अधिकारिता में,
- 10,00,000.00 रु० से 15,00,000.00 रु० तक के वाद अपर निबन्धक के अधिकारिता में,
- 15,00,000.00 रु० से अधिक के वाद निबन्धक के अधिकारिता में विवाद सम्पत्ति/धनराशि का निपटारा किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम—2003

- अधिनियम में पृथक से कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की कोई व्यवस्था नहीं।
- धारा 2 में नगरीय बैंकों को परिभाषित किया गया।
- एकट की धारा 3 (3) के उपबन्धों को विस्तृत रूप दिया गया।
- धारा 4 के अन्तर्गत सहकारिता के अन्तराष्ट्रीय सिद्धान्तों को अपनाया गया।
- निबन्धक द्वारा समिति निबन्धित न करने पर प्रत्यावेदन की व्यवस्था।
- धारा 17 के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह तथा विद्यार्थियों को समितियों की सदस्यता ग्रहण करने का प्राविधान।
- सहानुभूतिकर सदस्य बनाये जाने का प्राविधान समाप्त।
- प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष किया गया (97वाँ संविधान संशोधन)।
- प्रबन्ध कमेटी में अधिकतम एक गैर शासकीय सदस्यों को नामित किये जाने का प्राविधान।
- धारा 30 (क) समाप्ति एवं उप समाप्ति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने का प्राविधान।
- धारा 31 (क) में शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये जाने का प्राविधान।
- प्रबन्ध निदेशक के वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्धि।
- धारा 35 (क) बकायेदारी हेतु वसूली प्रतिशत 60 प्रतिशत किया गया।
- राज्य सरकार की सहभागिता को परिभाषित किया गया।
- चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के माध्यम से आडिट करानें व आडिट शुल्क निर्धारण करना एवं उसमें छूट देनं का प्राविधान।
- धारा 71 (6) हाजिरी सुनिश्चित करानें एंव शपथ अभिपुष्टि या हलफनामें पर साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने हेतु बाध्य किये जाने का प्राविधान।
- धारा 71 (क) वित्त पोषणकर्ता समिति/बैंक वित्त पोषित समिति के बकायेदारों के विरुद्ध सीधे कार्यवाही का प्राविधान।
- धारा 74 (क) परिसमाप्ति की जाने वाली समिति के अभिलेखों का पूर्व अधिनियम में आडिट करने का प्राविधान।
- धारा 74 (ख) पूर्व अधिनियम में परिसमाप्ति की जाने वाली समिति की शेष सम्पत्तियों के निस्तारण का प्राविधान।
- धारा 97 निबन्धक के अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील की अवधि 30 दिन के स्थान पर बढ़ाकर 45 दिन की गई।
- धारा 98 अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि भी बढ़ाकर 30 दिन के स्थान पर 45 दिन कर दी गई।
- धारा 99 इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण, राज्य सरकार तथा निबन्धक को अभिनिर्णयों/आदेशों का पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राविधानित किया गया।
- धारा 102 (क) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद की स्थापना का प्राविधान, परिषद में 11 सदस्य होंगे तथा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
- धारा 103 विभिन्न प्रकार के दण्ड सीमा में वृद्धि।
- धारा 104 इसके अन्तर्गत अपराध के लिए अर्थ दण्ड की राशि 500 रु0 से बढ़ाकर 1000 रु0 तथा अपराध जारी रहनें पर 10 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिदिन कर दी गई।
- धारा 116 सहकारिता को सहभागिता एंव संयुक्त उघम के रूप में विकसित किये जाने का प्राविधान।

- धारा 117 सहायक संगठनों का प्रवर्तन किये जाने का प्राविधान ।
- धारा 118 पुनर्निर्माण परिषद का प्राविधान जिसमें कुल सात सदस्य ।
- नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यक्ष/संचालक मण्डल की सहभागिता का प्राविधान ।

उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003

- पूर्व निबन्धित समिति द्वारा राजकीय अंशपूँजी की वापसी के पश्चात इस विधेयक के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर सकती है ।
- उक्त पंजीकरण के पश्चात ऐसी समिति पर राज्य सरकार अथवा निबन्धक का कोई नियत्रण नहीं रहेगा ।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम 7 सदस्य सहकारी समिति के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं ।
- समिति को निबन्धित करने के लिए कोई आदर्श उपविधियां नहीं होंगी । समिति अपने उद्देश्यों के अनुरूप संगम ज्ञापन एंवं संगम अनुच्छेद बनायेंगी ।
- निबन्धन अस्वीकार करने हेतु 60 दिन की अवधि व डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्राविधान ।
- समिति अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन हेतु स्वयं संक्षम ।
- सहकारी समिति/समितियां समामेलन, विलयन, विभाजन के लिए स्वतंत्र ।
- समिति के विवाद मध्यस्थ अभिकरण को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान ।
- मध्यस्थ अभिकरण का गठन समिति की सामान्य सभा करेगी ।
- समिति सहकारी शिक्षा का प्राविधान स्वयं करेगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार सामान्य सभा में निहित होंगे ।
- समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति स्वयं करेगी तथा स्वयं लेखा परीक्षण करायेगी ।
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराया जाना आवश्यक व निर्वाचन समिति द्वारा स्वयं कराया जायेगा ।
- निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल समिति की संगम अनुच्छेद में उल्लिखित किया जायेगा ।
- सहकारी समिति के सामान्य निकाय में समिति के सभी सदस्य समिलित ।
- समिति की सामान्य सभा को समिति के विघटन का अधिकार ।
- न्यायालय के आदेश या निबन्धक के आदेश से भी समिति के विघटन की कार्यवाही की जा सकती है ।
- पंजीकृत सहकारी संस्थायें अपने प्रबन्धन का स्वरूप निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र ।
- राज्य सरकार यदि चाहे तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित समितियों को भी सहायता प्रदान कर सकती है ।
- प्रत्येक समिति निबन्धक को वार्षिक सामान्य सभा आयोजन के 30 दिन के पश्चात वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक ।
- रजिस्ट्रार सदस्यों अथवा निदेशकों के प्रार्थना-पत्रों पर ही समितियों की जॉच करवायेगा, सीधे कोई जॉच नहीं करेगा ।
- लगातार 2 वर्ष तक कार्य न करने पर रजिस्ट्रार को समिति विधायित करने का अधिकार ।
- न्यायालय द्वारा भी विघटन के निर्देश दिये जा सकते हैं ।
- 2 वर्ष के अन्तर्गत समापन की कार्यवाही पूर्ण कराना आवश्यक ।
- विशेष परिस्थितियों में निबन्धक द्वारा भी समापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान ।

मुख्यालय एवं अधिकारियों के नाम व ई० मेल

कार्यालय का पता— निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड,
सहकारिता परिसर, नियर रेलवे क्रासिंग,
तुनवाला रोड, भिंयावाला, देहरादून
पिन कोड—248005।

विभागीय ई०मेल — rcsuttarakhand@gmail.com

दूरभाष न०—0135-2685634

विभागीय वेबसाइट— www.cooperative.uk.gov.in एवं www.ukcoorperative.in

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम | पदनाम | दूरभाष न० | ई०मेल |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | श्री आलोक कुमार पाण्डेय | निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |
| 2 | श्रीमती ईरा उप्रेती | अपर निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |
| 3 | श्री आनन्द ए०डी० शुक्ल | अपर निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |
| 4 | श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी | उप निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |
| 5 | सुश्री रामिन्द्री मन्द्रवाल | उप निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |
| 6 | श्री अनिल कुमार | उप निबन्धक | 0135-2685634 | rcsuttarakhand@gmail.com |

मण्डलीय कार्यालय एवं विभागीय अधिकारियों के नाम व ई० मेल

| गढ़वाल मण्डल | कुमायूँ मण्डल |
|---|---|
| कार्यालय का पता— उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, गढ़वाल मण्डल, मकान नं०—23, वार्ड नं०—08, श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड—246001। | कार्यालय का पता— उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, कुमायूँ मण्डल, पाटनी भवन, कर्नाटक खोला, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा, पिन कोड—263601। |
| अधिकारी का नाम— श्री मान सिंह, उप निबन्धक (गढ़वाल मण्डल) ई०मेल — drcspauri@gmail.com दूरभाष न०— 01368-222473 | अधिकारी का नाम— श्री नीरज बेलवाल, उप निबन्धक (कुमायूँ मण्डल) ई०मेल — drcskm2020@gmail.com दूरभाष न०— 05962-230401 |

सूचना का अधिकार

विभाग का नाम—सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष का पदनाम—निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड

दूरभाष नं०—०१३५—२३६५६३४, २६८६२९२, ई—मेल आईडी०—rcsuttarakhand@gmail.com

विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों की कुल सं०—१६

विभाग में नामित अपीलीय अधिकारियों की कुल सं०—०३

| लोक सूचना अधिकारी | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| क्र० सं० | नाम | पदनाम | पूर्ण पता | ई—मेल आई डी० | मो०न० / दू०न० |
| 1. | श्री अयोध्या प्रसाद | अपर जिला सहकारी अधिकारी | कार्यालय—निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून। | rcsuttarakhand@gmail.com | 9917685366 0135—2685 634 |
| 2. | श्री केशव प्रसाद अवस्थी | अपर जिला सहकारी अधिकारी | कार्यालय—उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, गढ़वाल मण्डल, वार्ड नं०—०८, भवन नं० २३ श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल | drcspauri@gmail.com | 9410313799 01368—222 473 |
| 3. | श्री पुष्कर सिंह खोलिया | अपर जिला सहकारी अधिकारी | कार्यालय— उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, कुमाँऊ मण्डल, पाटनी भवन, कर्नाटक खोला, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा | drckm2020@gmail.com | 7505443741 05962—230 400,230401 |
| 4. | श्री राजेश चौहान | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—हरिद्वार | arcshrd@gmail.com | 9719559559 01334—239 378 |
| 5. | श्री भारत सिंह | प्र० जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय— जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—देहरादून | arcsddn104@gmail.com | 0135—2712 294 |
| 6. | श्री सुभाष चन्द्र गहतोड़ी | प्र० जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय— जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—टिहरी गढ़वाल | arcstg@gmail.com | 7310882054 8630832055 |
| 7. | श्री नरेन्द्र सिंह रावत | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—उत्तरकाशी | arcsuttarkashi@gmail.com | 7983274040 |
| 8. | श्री योगेश्वर जोशी | प्र० जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय— जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—चमोली गढ़वाल | arcschamoli101@gmail.com | 9627599821 01372—252 189 |
| 9. | श्रीमती मोनिका चुनेरा | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—रुद्रप्रयाग | arcs.rpg@gmail.com | 0132—2685 634 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|
| 10. | श्री सुमन कुमार | प्र० जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—पौड़ी गढ़वाल | arcspauri12@gmail.com | 9675000200 01368-222 308 |
| 11. | श्री मनोहर सिंह मार्तालिया | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—चम्पावत | arcscwt@gmail.com | 7895227087 |
| 12. | श्री सुरेन्द्र पाल | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—पिथौरागढ | arcspith@gmail.com | 9410702763 05964-225 750 |
| 13. | श्री मनोज कुमार पुनेठा | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—बागेश्वर | arcs143.bgwr@gmail.com | 8192907081 |
| 14. | श्री एम०एल० टम्टा | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—ऊधमसिंहनगर | darcsusn@gmail.com | 7830030028 05944-250 456 |
| 15. | श्री हरीश चन्द्र खण्डूरी | जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—अल्मोड़ा | arcsalmora@gmail.com | 8923239278 05962-232 290 |
| 16. | श्री बलवन्त सिंह मनराल | प्र० जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, | कार्यालय—जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद—नैनीताल | arcsbhimtal@gmail.com | 9412017246 05942-248 302 |

प्रथम अपीलीय अधिकारी

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल | उप निबन्धक, मुख्यालय | कार्यालय—निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, सहकारिता परिसर, तुनवाला रोड, मियांवाला, देहरादून। | rcsuttarakhand@gmail.com | 9412055822 0135-2685 634 |
| 2 | श्री नीरज बेलवाल | उप निबन्धक, कुमाँऊ मण्डल, | कार्यालय— उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, कुमाँऊ मण्डल, पाटनी भवन, कर्नाटक खोला, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा | drcskm2020@mail.com | 9412971442 05962-230 401,230400 |
| 3 | श्री मान सिंह सैनी | उप निबन्धक, गढ़वाल मण्डल, | कार्यालय—उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, गढ़वाल मण्डल, वार्ड नं०- 08, भवन नं० 23 श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल | drspauri@gmail.com | 9458949088 01368-222 473 |